केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
Central Government Employees
Welfare Housing Organisation
(Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Govt. of India)
(An ISO 9001:2015 Organisation)

छठा तल, ए खण्ड, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23739722 / 23717249 / 23355408
फैक्स : 23717250

6th floor, 'A' Wing, Janpath Bhawan,
Janpath, New Delhi-110001
Phones : 23739722 / 23717249 / 23355408
Fax : 23717250
E-mail : cgewho@nic.in

संख्या : ए–107 / 5 दिनांक: 10 / 02 / 2017

सेवा में,

ग्रेटर नोएडा आवासीय योजना के सभी आवंटीयों को।

विषयः परियोजना निगरानी समिति (PMC) का गठन :: सदस्यता के चुनाव के लिए आवेदन।

महोदय / महोदया,

केंन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ•) की सामान्य निकाय और संचालन परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना के लिए एक परियोजना निगरानी समिति (PMC) का गठन किया जाएगा। परियोजना निगरानी समिति (PMC) की "संदर्भ की शर्तें" निम्नानुसार होंगी।

(क) प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना में, परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए परियोजना निगरानी समिति (PMC) का गठन किया जाएगा।

(ख) इस समिति में दो प्रतिनिधि संचालन परिषद से होंगे (जैसे कानून मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) (उप सचिव स्तर के पद से नीचे के अधिकारी नहीं) तथा परियोजना से पाँच आवंटी सदस्य होंगे।

(ग) संचालन परिषद के सदस्य सचिव, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ• हैं, परियोजना निगरानी समिति (PMC) के अध्यक्ष होगें।

(घ) सभी आवंटी अपना नामांकन प्रस्तुत करने व परियोजना निगरानी समिति (PMC) के सदस्य के रूप में निर्वाचित हाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ•) परियोजना निगरानी समिति (PMC) छः महीनों मे एक बार मिलेगी तथा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी।

(च) संचालन परिषद के प्रतिनिधि (मंत्रालय के अधिकारी) के टीए / डीए का खर्चा, संबंधित मंत्रालयों द्वारा वहन किया जाएगा। यदि संबंधित मंत्रालय द्वारा भुगतान नहीं किया जाता तो इसका भुगतान सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ• द्वारा संबधित परियोजना के खाते से किया जाएगा। सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ• के अधिकारियो / कर्मचारियों व परियोजना निगरानी समिति (PMC) के आवंटी सदस्यो के टीए / डीए के खर्चों, का भुगतान सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ• द्वारा संबधित परियोजना के खाते से किया जाएगा। सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ• परियोजना निगरानी समिति के सदस्यो के रहने या वाहन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(छ) सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ• द्वारा परियोजना स्थल पर बैठक बुलाने के लिए व्यय संबंधित परियोजना खाते से वहन किया जाएगा।

(ज) परियोजना निगरानी समिति के निर्वाचित सदस्य परियोजना स्थल पर बुलाई गई परियोजना निगरानी समिति (PMC) की बैठक में भाग लेने के लिए मंजूर देय दर पर टीए/डीए के लिए हकदार होंगे।

2 तदनुसार ग्रेटर नोएडा आवासीय योजना की परियोजना निगरानी समिति (PMC) का गठन निम्नानुसार होगाः

क्रमांक	सदस्यों का विवरण	स्थिति / पदनाम
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी।	अध्यक्ष
2	कानून मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से उप सचिव स्तर के अधिकारी।	सदस्य
3	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उप सचिव स्तर के अधिकारी।	सदस्य
4	परियोजना से पाँच आवंटी सदस्य।	सदस्य

3 परियोजना निगरानी समिति (PMC) के गठन की प्रक्रिया शुरू करने तथा उन आवंटियों से नामांकन प्राप्त करने के लिए जो नामांकित किए जाने / परियोजना निगरानी समिति (PMC) में निर्वाचित होने में रुचि रखते हैं उनसे अनुरोध है कि आप संलग्न प्रपत्र में ग्रेटर आवासीय योजना के परियोजना निगरानी समिति (PMC) के सदस्य के रुप में चुनाव के लिए अपना आवेदन **10/03/2017** तक भेजें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि परियोजना निगरानी समिति (PMC) के सदस्य के रुप में नामांकन हेतु आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। **10/03/2017** के बाद प्राप्त नामांकन पर विचार नही किया जाएगा।

4 उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त नामांकनों का ब्यौरा उनकी जानकारी के लिए परियोजना के सभी आवंटियों का सूचित किया जाएगा। सभी आवंटियों को परियोजना निगरानी समिति (PMC) की आम बैठक की तिथि तथा 5 आवंटी सदस्यों के चुनाव के एजेंडे के साथ सूचित किया जाएगा। अध्यक्ष, परियोजना निगरानी समिति तथा अन्य प्रतिनिधि सदस्य (कानून मंत्रालय व आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रतिनिधि) बैठक के दौरान उपस्थित रहेंगे। परियोजना के आवंटियों से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और परियोजना स्थल पर आम सभा की तिथि पर उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया जाता है। यदि कोई आवंटी सामान्य बैठक में भाग लेने की स्थिति मे नहीं है तो वह डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। ऐसे आवंटी अपने मताधिकार का उपयोग, डाक मतपत्र पर अपनी पसंद को टिक करके निर्धारित तिथि के भीतर संबधित परियोजना प्रबंधक/ परियोजना प्रभारी को भेजें। परियोजना निगरानी समिति के एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी के रुप में नियुक्त किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक / परियोजना प्रभारी, आम बैठक/ चुनाव की तिथि वाले दिन चुनाव प्रक्रिया मे सहायता करेगा। पीठासीन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया का संचालन, व्यक्तिगत वोटो के साथ साथ परियोजना प्रबंधक/ परियोजना प्रभारी द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त डाक मतपत्र की गिनती करेगा तथा परिणाम घोषित करेगा।

अ०ज०

5 परियोजना निगरानी समिति (PMC) के निर्वाचित सदस्यो का ब्यौरा डाक द्वारा सभी आवंटियो को सूचित किया जाएगा तथा यह सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ• की वेबसाइट पर भी प्रकाशित होगा।

6 कृपया ध्यान दें कि आम बैठक में भाग लेने के लिए तथा आवंटियों के प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए आवंटियों को कोई टीए/डीए देय नही होगा। तथापि परियोजना निगरानी समिति (PMC) के निर्वाचित सदस्यो को नियमों के अनुसार आगामी परियोजना निगरानी समिति (PMC) बेठको में भाग लेने के लिए टीए/डीए देय होगा।

7 यह पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अरुण कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (प्रशासन)
कृत्ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी

<u>संलग्नक : उपरोक्त अनुसार</u>

- किसी विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण का अनुपालन किया जाएगा।

केंन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
ग्रेटर नोएडा आवासीय योजना

परियोजना निगरानी समिति के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए आवेदन।

1 आवंटी का नामः ______________________

2 पंजीकरण संख्याः ______________________

3 पिता का नामः ______________________

4 पताः ______________________

____

____

फोन नंबर ____________ ई–मेल ____________

5 क्या आपकी परियोजना निगरानी समिति के पत्र संख्या ए–107/5, दिनांकः 10/02/2017 मे उल्लिखित संदर्भ की शर्तो के अनुसार ग्रेटर नोएडा आवासीय योजना की परियोजना निगरानी समिति मे नामांकित किए लाने में दिलचस्पी है।

हाँ ________ नहीं ______

वचन

मैं ______________________ पुत्र श्री ______________________ सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ• के ग्रेटर नोएडा परियोजना की परियोजना निगरानी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए अपने नामांकन और सहमति देता हूँ।

मैं इसके द्वारा आगे सी•जी•ई•डब्ल्यू•एच•ओ• के नियमन व परियोजना निगरानी समिति के पत्र संख्या ए–107/5, दिनांकः 10/02/2017 मे उल्लेख संदर्भ की शर्तो के पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर ______________

नाम______________

पंजीकरण संख्या______________

पता______________

दिनांकः ______________

स्थानः ______________

नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 10–03–2017

अरुण